

नशाद आफके, कार कमिशन, 2017

वेम्प. वाणेशरक दिनांक 18/5/2017

पतावली प्रस्तुत हुई।

वादी/प्रतिवादीगण कुपस्थित।

वाद्युक्त शक्ति के संबंध में
वादी द्वारा पूर्व पारित निर्णय के
अनुरूप कब्जा वाद्युक्त शक्ति दिवंगत
के लिए उरी न्यायालय में अराद
प्रस्तुत की गई। उक्त प्रस्तुत
अराद सादा 37/2015 में अधिक
निर्णय डिडीदार (वादी) को वाद्युक्त
शक्ति का कब्जा TDL देहरी
द्वारा दिनांक 2-11-2016 को सुपरी
विदा जा चुका है। यू:दि वादी
को विकिपुलार कब्जा सुपरी
विदा जा चुका है अतः प्रस्तुत
वाद 188 R.T. Act को लम्बित
रखे जाने का कोई औचित्य नहीं
रहता है। अतः वाद वादी स्वयं
विदा जाता है। पतावली प्रस्तुत
होकर सर्वका स्पष्ट हो



उपखण्ड अधिकारी
देहरी जिला न्यायालय